क्रम-संख्या-260

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 26 सितम्बर, 1998

आश्विन 4, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1864/सत्रह-वि-1—1 (क)-7-25-1998
लखनऊ, 26 सितम्बर, 1998

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 25 सितम्बर, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1998

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1998]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 और उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

भाग-एक

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायगा।

भाग–दो

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे इस भाग में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में शब्द "आठ सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "तीन हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 5 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायगा और,–

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में शब्द और अंक "दिनांक 1 जून, 1997 से पचासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" के स्थान पर शब्द और अंक "दिनांक 1 जून, 1997 से पचासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और 1 जून, 1998 से अट्ठासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात:–

"(2) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को दस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक मूल्य के रेल कूपन विहित रीति से दिये जायेंगे, जो ऐसे भूतपूर्व सदस्य के द्वारा अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए उपयोग में लाये जा सकते हैं और इस उपधारा के अधीन दिये गये रेल कूपनों पर उपधारा (1) के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"

धारा 13 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (4) में शब्द और अंक "उपधारा (1)" के पश्चात् शब्द और अंक "और उपधारा (2)" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 15 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) और (3) में शब्द "एक सौ पचीस रुपये" के स्थान पर शब्द "दो सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 15–क का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 15–क में शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 18–क का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 18–क में, खण्ड (क) में शब्द "छः सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 24 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायगा, और,–

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द "एक हजार दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे;

(दो) परन्तुक में शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो सौ रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

"(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति किसी अन्य पेंशन का भी हकदार हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति ऐसी पेंशन के साथ-साथ उपधारा (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार होगा।"

धारा 25 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 25 में खण्ड (क) और (ग) निकाल दिये जायेंगे।

धारा 26 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 26 में शब्द "खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग)" के स्थान पर शब्द "खण्ड (ख)" रख दिये जायेंगे।

भाग–तीन

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1952 की धारा 2 का संशोधन

12—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे इस भाग में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 4 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "तथा उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे अन्य स्थान पर भी और ऐसी अवधि के लिए जिन्हें राज्य सरकार इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत करे" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और 27 मार्च, 1997 को बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात्:–

"(3) अध्यक्ष और सभापति प्रत्येक को अपने गृह जनपद में अपने निजी निवास स्थान के रख-रखाव के लिए यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सभापति के रूप में उनके निर्वाचन के दिनांक से दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास पाने का अधिकार होगा।"

भाग–चार

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 की धारा 3 का संशोधन

14—उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) में शब्द "नौ सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार दो सौ पच्चीस रुपये" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1864(2)/XVII-V-1—1(KA) 27-1998

Dated Lucknow: September 26, 1998.

In Pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal Sadasya Aur Adhikari Tatha Mantri Sukh-Suvidha Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998

(Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 30 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the governor on 25 September, 1998.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE MEMBERS AND OFFICERS AND MINISTERS AMENITIES LAWS (AMENDMENT) ACT, 1998

[U.P. ACT NO. 30 OF 1998]

(As Passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 and the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952 and the Uttar Pradesh Ministers (salaries, allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

PART I

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature members and Officers and Ministers Amenities Laws (Amendment) Act, 1998.

PART II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) ACT, 1980

Amendment of section 3 of the U.P. Act No. 23 of 1980

2. In section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to in this part as the Principal Act, in sub-section (1), *for* the words "eight hundred and fifty rupees", the words, "two thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act, *for* the words "three thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 5

4. Section 5 of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) thereof and,—

(a) in sub-section (1) as so renumbered, *for* the words "not exceeding eighty-five thousand rupees per annum from June 1, 1997," the words and figures "not exceeding eighty-five thousand rupees per annum from June 1, 1997 and not exceeding eighty-eight thousand rupees per annum from June 1, 1998," shall be *substituted*;

(b) after sub-section (1) the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(2) subject to the other provisions of this Act, every ex-member shall be provided, in the manner prescribed, with railway coupons of such value not exceeding ten thousand rupees per annum as may be used by such ex-member for himself and for the members of his family and the provisions of sub-section (1) shall *mutatis mutandis* apply to the railway coupons supplied under this sub-section."

Amendment of section 13

5. In section 13 of the principal Act, in sub-section (4) *after* the words and figure "sub-section (1)", the words and figure "and sub-section (2)" shall be *inserted*.

6. In section 15 of the principal Act,— Amendment of section 15

(a) in sub-section (1) *for* the words "two hundred rupees" the words "two hundred and fifty rupees" shall be *substituted*;

(b) in sub-sections (2) and (3), *for* the words, "one hundred and twenty-five rupees" the words, "two hundred rupees" shall be *substituted*.

7. In section 15-A of the principal Act, *for* the words "two hundred rupees" the words "one thousand rupees" shall be *substituted*. Amendment of section 15-A

8. In section 18-A of the principal Act, in clause (a) *for* the words, "six hundred rupees" the words "one thousand rupees" shall be *substituted*. Amendment of Section 18-A

9. Section 24 of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) thereof, and,— Amendment of section 24

(a) in sub-section (1) as so re-numbered,—

(i) *for* the words "one thousand two hundred and fifty rupees" the words "one thousand five hundred rupees" shall be *substituted*;

(ii) in the proviso *for* the words "one hundred rupees" the words "two hundred rupees" shall be *substituted*;

(b) after sub-section (1) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Where any person entitled to pension under sub-section (1) is also entitled to any other pension such person shall be entitled to receive the pension under sub-section (1) in addition to such pension."

10. In section 25 of the principal Act, clauses (a) and (c) shall be *omitted*. Amendment of section 25

11. In section 26 of the principal Act, *for* the words "clause (a) or clause (b) or clause (c)", the words "clause (b)" shall be *substituted*. Amendment of section 26

PART III

Amendment of the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952

12. In section 2 of the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952, herein after referred to in this part as the principal Act, in sub-section (1) for the words "rupees one thousand" the words "two thousand and five hundred rupees" shall be *substituted*. Amendment of section 2 of the U.P. Act No. 11 of 1952

13. In section 4 of the Principal Act,— Amendment of section 4

(a) in sub-section (1), the words "and also at such other place in Uttar Pradesh and for such period as may be prescribed by rules to be made by the State Government in this behalf" shall be *omitted*;

(b) after sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, and be deemed to have been inserted on March 27, 1997 namely,—

"(3) The Speaker and the Chairman shall each be entitled to receive two thousand and five hundred rupees per month for the maintenance of his private residence at his home district with effect from the date of his election as such Speaker or the Chairman, as the case may be :

30/98

PART–IV

Amendment of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981.

Amendment of Section 3 of U.P. Act No. 14 of 1981

14. In section 3 of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981,—

(a) in sub-section (1) *for* the words "one thousand rupees" the words "two thousand and five hundred rupees" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2) *for* the words "nine hundred rupees" the words "two thousand two hundred and twenty five rupees" shall be *substituted*.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.